

विचार बिन्दु

झूठ, कपट, चोरी, व्यभिचार आदि दुराचारों की वृत्तियों के नष्ट हुए बिना एकाग्र होना कठिन है और एकाग्र हुए बिना ध्यान और समाधी नहीं हो सकती। –मनु

माननीय अपराधी

लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि जनता की आशाओं, आकांक्षाओं और विश्वास के प्रतीक होते हैं। सांसद और विधायक को सम्मानपूर्वक ‘माननीय’ कहा जाता है, क्योंकि उनसे कानून बनाने, शासन को दिशा देने और समाज में आदर्श स्थापित करने की अपेक्षा की जाती है। लेकिन जब बड़ी संख्या में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के विरुद्ध गंभीर आपराधिक मामले घोषित हों, तो यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि राजनीति में अपराध का प्रवेश किस सीमा तक स्वीकार्य हो सकता है?

2024 के लोकसभा चुनाव के बाद एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) के विश्लेषण के अनुसार 543 नवनिर्वाचित सांसदों में से 251, अर्थात लगभग 46 प्रतिशत, ने अपने चुनावी हलफनामों में आपराधिक मामले घोषित किए। इनमें 170 सांसदों, यानी 31 प्रतिशत, ने गंभीर आपराधिक मामले घोषित किए, जिनमें हत्या, हत्या का प्रयास, बलात्कार, अपहरण और महिलाओं के विरुद्ध अपराध जैसे गंभीर मामले शामिल हैं। हालांकि यह स्पष्ट समझना आवश्यक है कि किसी व्यक्ति के विरुद्ध आपराधिक मामला दर्ज होना दोष सिद्ध के समान नहीं है। 2024 में 27 निर्वाचित सांसदों ने अपने हलफनामों में पूर्व आपराधिक दोष सिद्ध भी घोषित की थी। इसलिए आरोप और सिद्ध अपराध के बीच कानूनी अंतर बनाए रखना जरूरी है।

राजस्थान की स्थिति भी इस चिंता से अलग नहीं है। 2023 के राजस्थान विधानसभा चुनाव के बाद ADR के विश्लेषण में 199 विजयी उम्मीदवारों में से 61, अर्थात 31 प्रतिशत, ने अपने विरुद्ध आपराधिक मामले घोषित किए। इनमें 44, यानी 22 प्रतिशत, ने गंभीर आपराधिक मामले घोषित किए। 2018 में ये आंकड़े क्रमशः 23 प्रतिशत और 14 प्रतिशत थे। अर्थात पांच वर्ष के अंतराल में घोषित आपराधिक मामलों वाले निर्वाचित विधायकों के अनुपात में वृद्धि दिखाई देती है।

यह स्थिति केवल किसी एक राजनीतिक दल या विचारधारा की समस्या नहीं है। अलग-अलग दलों के निर्वाचित उम्मीदवारों के हलफनामों में आपराधिक मामलों की जानकारी सामने आती रही है। इससे स्पष्ट होता है कि समस्या व्यापक राजनीतिक व्यवस्था और चुनावी प्रक्रिया से जुड़ी है। इसलिए इसे दलगत चरम से देखने के बजाय लोकतांत्रिक सुधार के प्रश्न के रूप में देखना अधिक उचित होगा।

सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि राजनीतिक दल ऐसे उम्मीदवारों को टिकट क्यों देते हैं? चुनाव जीतने की क्षमता, स्थानीय प्रभाव, आर्थिक संसाधन, जातीय या सामाजिक समीकरण और संगठनात्मक ताकत जैसे अनेक कारणों का उल्लेख राजनीतिक विश्लेषणों में किया जाता है। लेकिन लोकतंत्र में ‘जीतने की क्षमता’ ही उम्मीदवार के चयन का अंतिम आधार नहीं हो सकती। जनता को यह जानने का अधिकार है कि किसी आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति को टिकट देने का निर्णय क्यों लिया गया।

इसी दिशा में सर्वोच्च न्यायालय ने राजनीतिक दलों को आपराधिक मामलों वाले उम्मीदवारों की जानकारी सार्वजनिक करने तथा ऐसे उम्मीदवारों के चयन के कारण बताने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि कारण केवल चुनावी ‘विजय की संभावना’ अर्थात ‘vinnability’ पर आधारित नहीं होने चाहिए, बल्कि उम्मीदवार की योग्यता, उपलब्धियों और उपयुक्तता से संबंधित होने चाहिए। इसका मूल उद्देश्य मतदाता की सूचित विकल्प उपलब्ध कराना है।

सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि राजनीतिक दल ऐसे उम्मीदवारों को टिकट क्यों देते हैं? चुनाव जीतने की क्षमता, स्थानीय प्रभाव, आर्थिक संसाधन, जातीय या सामाजिक समीकरण और संगठनात्मक ताकत जैसे अनेक कारणों का उल्लेख राजनीतिक विश्लेषणों में किया जाता है। लेकिन लोकतंत्र में ‘जीतने की क्षमता’ ही उम्मीदवार के चयन का अंतिम आधार नहीं हो सकती। जनता को यह जानने का अधिकार है कि किसी आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति को टिकट देने का निर्णय क्यों लिया गया?

गंभीर आपराधिक मामलों में दोषी ठहराया जा चुका है, उनके लिए अयोग्यता के प्रावधानों को अधिक प्रभावी और दीर्घकालिक बनाने पर विचार होना चाहिए। लोकतंत्र में दोष सिद्ध व्यक्ति और केवल आरोपी व्यक्ति के बीच स्पष्ट कानूनी अंतर बना रहना चाहिए। तीसरा, सांसदों और विधायकों से संबंधित आपराधिक मामलों की सुनवाई के लिए विशेष या फास्ट-ट्रैक अदालतों की व्यवस्था को प्रभावी बनाया जाना चाहिए। वर्यों तक मुकदमे लंबित रहने से आरोपी और पीडित दोनों प्रभावित होते हैं तथा राजनीति में आपराधिक मामलों की वास्तविक स्थिति अस्पष्ट बनी रहती है। समयबद्ध सुनवाई इस समस्या का महत्वपूर्ण समाधान हो सकती है।

चौथा, राजनीतिक दलों की जवाबदेही तय होनी चाहिए। यदि कोई दल आपराधिक मामलों वाले व्यक्ति को उम्मीदवार बनाता है तो उसे सार्वजनिक रूप से यह बताना चाहिए कि उस व्यक्ति को टिकट देने का आधार क्या था और अपेक्षाकृत स्वच्छ पृष्ठभूमि वाले अन्य उम्मीदवारों को क्यों नहीं चुना गया।

पांचवां, गंभीर अपराध में न्यायिक हिरासत या दोष सिद्धि की स्थिति में जनप्रतिनिधि के पद पर बने रहने से संबंधित नियमों को अधिक स्पष्ट और प्रभावी बनाने की आवश्यकता है। इस विषय में संवैधानिक संतुलन, प्राकृतिक न्याय और मतदाताओं के अधिकारों को ध्यान में रखना होगा।

इसके साथ राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र और पारदर्शिता बढ़ाना भी जरूरी है। उम्मीदवारों की आपराधिक पृष्ठभूमि, संपत्ति, शिक्षा और अन्य हलफनामे मतदाताओं के लिए सरल भाषा में आसानी से उपलब्ध होने चाहिए। चुनाव आयोग, मीडिया, नागरिक संस्थाओं और शैक्षणिक संस्थानों को भी मतदाता जागरूकता बढ़ाने में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए।

अंततः प्रश्न केवल यह नहीं है कि कितने ‘माननीयों’ पर आपराधिक मामले हैं। बड़ा प्रश्न यह है कि लोकतंत्र में ऐसे उम्मीदवारों के चयन को रोकने और उनकी पृष्ठभूमि की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए राजनीतिक व्यवस्था कितनी गंभीर है। ‘माननीय’ शब्द केवल सम्मान का संबोधन नहीं, बल्कि जनता के प्रति जवाबदेही का प्रतीक है। राजनीति में अपराध का बढ़ता प्रभाव लोकतंत्र की गरिमा, कानून के शासन और जनता के विश्वास-तीनों के लिए चुनौती है।

लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अपराध के आरोप और अपराध की सिद्धता में अंतर बनाए रखते हुए ऐसी व्यवस्था बनानी होगी जिसमें चुनाव जीतने की क्षमता से अधिक महत्व स्वच्छ सार्वजनिक जीवन, योग्यता, पारदर्शिता और संवैधानिक जिम्मेदारी को मिले। राजनीतिक दलों, न्यायपालिका, चुनाव आयोग और मतदाताओं-सभी की संयुक्त जिम्मेदारी है कि ‘माननीय’ शब्द की गरिमा बनी रहे।

–अतिथि सम्पादक,

प्रोफेसर (डा.) पी. सी. कंठालिया

पूर्व विभागाध्यक्ष (भूदा विज्ञान) एवं मुख्य वैज्ञानिक

महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर



राजेन्द्र जोशी

साहित्य में कुछ रचनाकार ऐसे होते हैं जो स्वयं जितना लिखते हैं, उससे कहीं अधिक दूसरे रचनाकारों को पढ़ते, परखते और साहित्यिक परिदृश्य को समझने की दृष्टि विकसित करते हैं। कुंदन माली ऐसे ही रचनाकार हैं। हिंदी और राजस्थानी दोनों भाषाओं में समान अधिकार के साथ लिखने वाले कुंदन माली को मुख्यतः आलोचक के रूप में पहचान मिली है, लेकिन उनका रचनात्मक व्यक्तित्व आलोचना तक सीमित नहीं है। कविता, अनुवाद, सुजन, अनुसृजन और विभिन्न साहित्यिक विधाओं पर उनकी सतत सक्रियता ने उन्हें समकालीन साहित्य में एक विशिष्ट स्थान दिया है। इसी बहुआयामी व्यक्तित्व और सुजन को केंद्र में रखकर डॉ. सुरेश सालवी के संपादन में प्रकाशित पुस्तक ‘निज के भीतर निज से इतर’ का आना महत्वपूर्ण साहित्यिक घटना है।

किसी आलोचक पर आलोचनात्मक पुस्तक तैयार करना अपने आप में चुनौतीपूर्ण कार्य है। आलोचक सामान्यतः दूसरे रचनाकारों की रचनात्मकता को कसौटी पर कसता है, उनकी खूबियाँ और सीमाओं को सामने लाता है, साहित्यिक प्रवृत्तियों की पहचान करता है और अपने समय के साहित्य का मूल्यांकन करता है। ऐसे में जब वही आलोचक स्वयं आलोचना का विषय बनता है तो उसके लेखन के

साथ-साथ उसकी दृष्टि, वैचारिकता, रचना-संबंधी सरोकार और साहित्यिक व्यवहार को भी समझना आवश्यक हो जाता है। ‘निज के भीतर निज से इतर’ इस चुनौती को स्वीकार करती दिखाई देती है।

पुस्तक की विषय-वस्तु से स्पष्ट है कि संपादक ने कुंदन माली को किसी एक खांचे में रखकर देखने के बजाय उनके व्यक्तित्व के अलग-अलग आयामों को सामने लाने का प्रयास किया है। पुस्तक में ‘जीवन वृत्त एवं व्यक्तित्व’ से लेकर उनकी आलोचना-दृष्टि, सुजन और अनुसृजन, कविता, अनुवाद तथा मित्रता और मानवीय संबंधों तक पर सामग्री शामिल है। इस दृष्टि से पुस्तक केवल किसी साहित्यकार का परिचयात्मक ठाँठ नहीं रह जाती, बल्कि एक ऐसे रचनाकार को समझने का प्रयास बनती है जिसकी साहित्यिक उपस्थिति अनेक स्तरों पर निर्मित हुई है।

डॉ. मंजु चतुर्वेदी का ‘कुंदन माली की आलोचना दृष्टि और विचार’ जैसे आलेख इस बात की पड़ताल करते हैं कि माली की आलोचना का आधार क्या है और वे रचना को किस दृष्टि से देखते हैं। इसी क्रम में डॉ. हुसैनी बोहरा का ‘सृजन से अनुसृजन की यात्रा’ उनके रचनात्मक विस्तार को दूसरे कोण से देखने का अवसर देता है। डॉ. महेंद्र भानावत का ‘कवि समीक्षक कुंदन माली’ आलोचक के भीतर मौजूद कवि को तलाशता है। यानी पुस्तक यह स्थापित करने की कोशिश करती है कि कुंदन माली की आलोचना को उनकी सृजनात्मक चेतना से अलग करके नहीं समझा जा सकता।

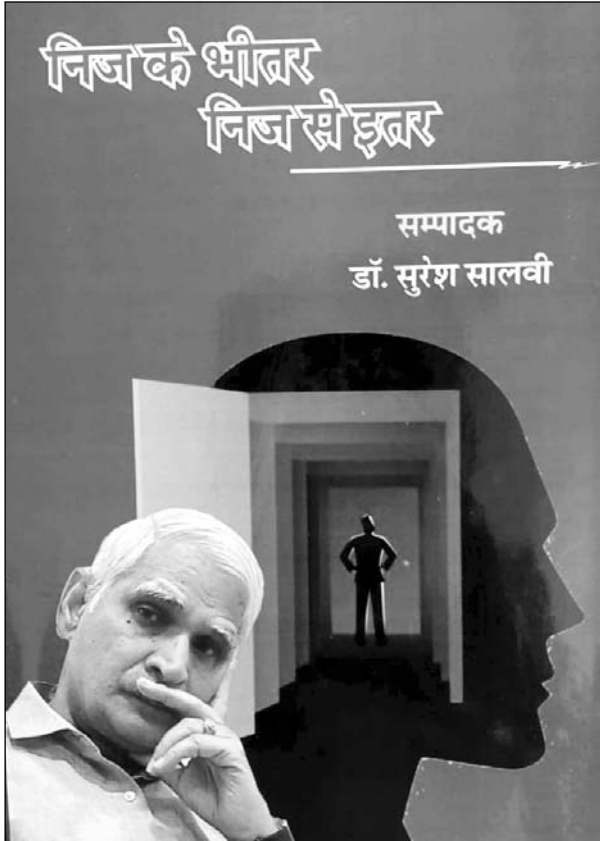
कुंदन माली की सबसे उल्लेखनीय विशेषताओं में उनकी बहुभाषिक साहित्यिक सक्रियता है। हिंदी और राजस्थानी दोनों में लेखन करते हुए उन्होंने अनेक रचनाकारों, विधाओं और साहित्यिक प्रवृत्तियों पर विचार किया है। राजस्थानी समीक्षा के संदर्भ में जितेन्द्र निर्मोही का आलेख उनके योगदान को रेखांकित करता है, जबकि डॉ. भरत सिंह ओला का ‘बहुभाषिक सुजन और

आलोचना के शिखर पुरुष’ शीर्षक उनके साहित्यिक विस्तार की ओर संकेत करता है। यहां ‘बहुभाषिकता’ केवल भाषा बदलने का मामला नहीं है; यह अलग-अलग भाषाई संस्कृतियों और साहित्यिक संवेदनाओं के बीच संवाद स्थापित करने की क्षमता भी है।

कुंदन माली के व्यक्तित्व का एक दूसरा पक्ष उनका मित्रवत और सहज स्वभाव है। साहित्य में आलोचक की छवि कई बार कठोर और दूरी बनाए रखने वाले व्यक्ति की बन जाती है, लेकिन माली के संदर्भ में यह छवि पूरी तरह लागू नहीं होती। वे ‘यारों के यार’ कहे जाने वाले साहित्यकार हैं। मालचंद तिवाड़ी का ‘कुंदन जी आप तो ऐसे न थे!’ और माणक टो. गौड़ का ‘मित्रता की कसौटी पर खरा उतरने वाला सखा’ जैसे आलेख इस मानवीय पक्ष को सामने लाते हैं। इन आलेखों की उपस्थिति महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी रचनाकार का मूल्यांकन केवल उसकी प्रकाशित पुस्तकों से नहीं, उसके सामाजिक और मानवीय व्यवहार से भी जुड़ता है।

पुस्तक में डॉ. सुरेश सालवी का ‘सहज रचनाकार, प्रखर अध्येता और सजग समीक्षक’ तथा कमल रंगा का ‘कविता, आलोचना और अनुवाद की त्रिवेणी’ जैसे आलेख कुंदन माली के बहुआयामी साहित्यिक व्यक्तित्व को समेटते हैं। वहाँ ‘आलोचना भी रचना है’ जैसी अवधारणा उनके आलोचक रूप को समझने की एक महत्वपूर्ण कुंजी उपलब्ध कराती है। अच्छी आलोचना केवल निर्णय सुनाना नहीं होती; वह रचना के भीतर प्रवेश कर उसके अर्थ-संसार को पाठक के सामने खोलने की रचनात्मक प्रक्रिया भी होती है। कुंदन माली की आलोचना को समझने में यह दृष्टि उपयोगी है।

इस पुस्तक को सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि यह कुंदन माली को केवल ‘आलोचक’ बनाकर प्रस्तुत नहीं करती। वह कवि है, अनुवादक है, अध्येता है, समीक्षक है और सबसे बढ़कर साहित्य के प्रति निरंतर सक्रिय रहने वाले व्यक्ति है। दूसरे रचनाकारों पर लिखते-लिखते स्वयं आलोचना का विषय बन जाना



किसी साहित्यकार की दीर्घ साहित्यिक यात्रा का प्रमाण भी है। ‘निज के भीतर निज से इतर’ इसलिए भी उल्लेखनीय है कि यह कुंदन माली के बहाने हमारे समय की आलोचना और आलोचक की भूमिका पर विचार करने का अवसर देती है। जो व्यक्ति वर्षों तक दूसरों की रचनाओं का विवेचन करता रहा, उसके अपने साहित्यिक व्यक्तित्व को अनेक रचनाकारों की दृष्टि से पढ़ना निश्चित रूप से अर्थपूर्ण अनुभव है। डॉ. सुरेश सालवी का संपादकीय श्रम इस अर्थ में महत्वपूर्ण है कि उन्होंने कुंदन माली के भीतर के ‘निज’ को उनके साहित्यिक संसार से बाहर के ‘इतर’ से जोड़कर देखने की कोशिश की है। अंततः यह पुस्तक कुंदन माली के व्यक्तित्व और कृतित्व का अंतिम मूल्यांकन नहीं, बल्कि उनके

साहित्य को नए सिरे से पढ़ने का एक आमंत्रण है। आलोचक को आलोचना के केंद्र में रखकर तैयार की गई यह पुस्तक साहित्य में आलोचक की भूमिका, उसकी मानवीय संवेदना और उसके रचनात्मक विस्तार-तीनों पर विचार का अवसर देती है। कुंदन माली ने जिस तरह अनेक विधाओं और अनेक लेखकों को अपनी आलोचनात्मक दृष्टि का विषय बनाया, उसी तरह अब ‘निज के भीतर निज से इतर’ उनके अपने साहित्यिक संसार को पाठकों और आलोचकों के सामने विचार का विषय बनाती है। यही इस पुस्तक का वास्तविक महत्व है। यह महत्वपूर्ण पुस्तक अंकुर प्रकाशन उदयपुर से प्रकाशित हुई।

–राजेन्द्र जोशी, शिक्षाविद-साहित्यकार

जाति, धर्म से दूर, एक देश – एक कानून समान नागरिक संहिता



प्रो. कैलाश सोडानी

समान नागरिक संहिता (Uniform CivilCode) के अन्तर्गत देश के सभी नागरिकों के लिए, विवाह, तलाक, वसीयत, उत्तराधिकार और लीव-इन जैसे व्यक्तिगत मामलों में सभी के लिए एक समान कानूनों का होना। जाति, धर्म एवं लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा।

धर्म एवं जाति के आधार पर बने हुए तथा क्रियाशील अलग-अलग पर्सनल लॉ समवत होंगे। सभी समुदायों के लिए एक जैसे नियम-कानून होने से आपसी एकता एवं सद्भाव की भावना मजबूत होगी। महिलाओं को सम्पत्ति, उत्तराधिकार

और तलाक के मामले में पुरुषों के समान अधिकार मिलेंगे। जिससे समाज में पुरुष प्रधानता वाली मानसिकता समाप्त होगी।

समान नागरिक संहिता भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के लक्ष्य को पूरा करता है, जिसमें देश के सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून बनाने की अपेक्षा की गयी है।

सभी धर्मों के लोगों के लिए विवाह, तलाक और सम्पत्ति के संबंध में एक जैसे अधिकार होंगे। शादी एवं तलाक का रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक होगा। एक से अधिक विवाह करने की प्रथा पर प्रतिबन्ध लगेगा। पैतृक सम्पत्ति के बंटवारे में बेटा एवं बेटों को बराबर हिस्सा मिलेगा।

किसी भी व्यक्ति को पहले पति या पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरा विवाह करने की अनुमति नहीं होगी। दूसरी शादी के लिए पहले कानूनी तलाक लेना अनिवार्य है। मौखिक या एकतरफा तलाक (जैसे तीन तलाक) जैसी प्रथाएँ प्रतिबंधित एवं दण्डनीय होंगी। तलाक के मामलों में सभी समुदायों को एक समान कानूनी प्रक्रिया का पालन करना होगा।

विवाह के व्यवस्थित पंजीकरण से किसी महिला या पुरुष को अपने

वैवाहिक सम्बन्ध प्रमाणित करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। विवाह प्रमाण-पत्र भरपूर-पोषण, तलाक, उत्तराधिकार बीमा से जुड़े मामलों में महत्वपूर्ण एवं कानूनी दस्तावेजका काम करता है।

वर्तमान समय में लिव-इन-रिलेशन को नजअन्दोज नहीं कर सकते। लिव-इन सम्बन्धों के पंजीकरण से चीजों में स्पष्टता एवं पारदर्शिता आयेगी। ऐसे सम्बन्धों को कानूनी स्वरूप प्रदान करने से सम्बन्धित पक्षकारों में जिम्मेदारी का अहसास होगा और उनसे जन्म लेने वाले बच्चों के अधिकारों को मान्यता मिलेगी। किसी बच्चे के अधिकार माता- पिता की वैवाहिक स्थिति पर निर्भर नहीं होने चाहिये।

भारतीय परिवारों में सम्पत्ति-विवाद का एक बड़ा कारण उत्तराधिकार और वसीयत को लेकर अस्पष्टता है। वसीयत के कानूनी पंजीकरण से विवाद एवं धोखाधड़ी की सम्भावना को समाप्त किया जा सकता है। समान नागरिक संहिता का उद्देश्य सम्पत्ति के हस्तान्तरण को व्यवस्थित और पारदर्शी बनाना है। इससे न्यायालयों में समय खराब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

हमारे देश के आदिवासियों की अपनी संस्कृति और पहचान है। भारतीय संविधान ने इसे स्वीकार किया है; इसलिए समानता की आड़ में दूसरों के पर्सनल लॉको आदिवासियों पर थोपना गलत होगा। उनकी गरिमा एवं गौरव को आघात लेगा। संविधान इस समुदायों की सांस्कृतिक पहचान और उनके पारंपरिक अधिकारों की रक्षा करता है।

जनजातीय संस्कृति और जीवन-शैली का समान करने के दृष्टिकोण से राजस्थान की भील, गौड़, कोरक, बैगा, सहारेया और भारिया जैसी जनजातियाँ पर यह कानून लागू नहीं होगा।

आजादी के साथ ही देश के सभी धर्मों के नागरिकों के लिए एक समान कानून बन जाने चाहिये थे। जिससे अलग-अलग धर्मों के लोगों में निकटता आती एवं एकरूपता विकसित होती। देश के गृहमंत्री समान नागरिक संहिता को सम्पूर्ण देश में लागू करने के सम्बन्ध में गम्भीरता से प्रयास कर रहे हैं। जनवरी, 2025 में उत्तराखण्ड से इसक शुरुवाद हो चुकी है। गुजरात, असम एवं मध्यप्रदेश की विधानसभाओं में यूसीसी विधेयक पारित हो चुका है। यथाशीघ्र यहाँ यहलागू भी हो जायेगा। गोवा में

आजादी से पहले ही पुर्तगाली सिविल कोड के रूप में यूसीसी लागू है।

सभी धर्मों की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए ईमानदारी से किया जाना वाला प्रयास यूसीसी है। कुछ लोग इसे अल्पसंख्यकों की धार्मिक पहचान को कमजोर करने एवं बहुसंख्यकों के आधिपत्य को स्थापित करने की दृष्टि से देख रहे हैं, जो निःसन्देह गलत है। नागरिकों में समानता के भाव के लिए एक देश में एक ही तरह के कानून बनाना और लागू करना हर सरकार की जिम्मेदारी है। पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी सभी नागरिकों के लिए शरिया पर आधारित एक समान पारिवारिक कानून लागू है। वहाँ के हिन्दू नागरिकों को भी शरिया कानून का पालन करना होता है। वहाँ अलग-अलग धर्मों के लिए पृथक पर्सनल लॉ नहीं है। अमेरिका, रूस, यूरोपीय देशों में समान नागरिक संहिता लागू है। जिस रास्ते पर पूरी दुनियाँ चल रही है, उस रास्ते पर चलने के लिए हमें भी देरी नहीं करनी चाहिये।

–प्रो. कैलाश सोडानी,

पूर्व कुलगुरु,

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

श्रीराम दयाल महाराज का अभिनंदन

भीलवाड़ा। रामस्नेही संप्रदाय के अंतरराष्ट्रीय जगतगुरु अनंत विभूषित पीठाधीश्वर स्वामी श्री राम दयाल जी के 71 वें अवतरण दिवस की भीलवाड़ा प्रेस सोसायटी के पदाधिकारियों ने बधाई दी और बुधवार को तत्खीर भेंट कर राम द्वारे में उनका अभिनंदन किया।

इस अवसर पर प्रेस सोसायटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अमिताभ जोशी

द्वारा लिखी गई कविता का श्रद्धालुओं के समक्ष वाचन किया गया , स्वामी ने उपस्थित पत्रकारों को आशीर्वाद प्रदान कर कहा की भीलवाड़ा के पत्रकारागण समाज के सजक प्रहरी हैं और सदैव सकारात्मक पत्रकारिता से समाज को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं उन्होंने विश्व शांति और भारत के विकास के लिए अहिंसा के मार्ग पर

■ अगर देश के सभी दल आत्मीयता के भाव से एक हो जाएंगे तो आतंकवाद , अत्याचार समाप्त होगा।

चलने का संदेश दिया उन्होंने कहा कि किसी भी राष्ट्र की प्रगति उसकी

एकता अखंडता और सद्भाव पर निर्भर करती है उन्होंने कहा कि इसके लिए सनातन धर्म पर चलने का मार्ग सबसे श्रेष्ठ है।

सर्व धर्म को एक माला में पिरोने के लिए हमें क्या करना चाहिए पत्रकारों द्वारा पूछे गए इस सवाल पर उन्होंने कहा कि “माला के मोतियों की फितरत है बिखर जाने की मगर धागे की जिद है उन्हें बांधे रखने की

” अगर देश के सभी दल एकाग्रता से आत्मीयता के भाव से अगर एक हो जाएंगे तो इस देश से आतंकवाद , अत्याचार और अन्याय समाप्त होगा। अभिनंदन कार्यक्रम में प्रेस सोसायटी के अध्यक्ष विश्वनाथ पाराशर, महासचिव शहजाद खान, उपाध्यक्ष बृजेश शर्मा, कोषाध्यक्ष सत्यदेव पाराशर, रमेश तोषनीवाल सहित कई अनुयाई उपस्थित थे।



पंडित अनिल शर्मा

वृष, मंगल-कर्क, बुध-कन्या, गुरु-कर्क, शुक्र-तुला, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह आज कुमार योग रात्रि 4:27 से आरम्भ होगा। आज छठ का श्राद्ध, रोहिणी व्रत (जैन) है। **श्रेष्ठ चौघड़िया**—शुभ सूर्योदय से 7:51 तक, चर 10:48 से 12:16 तक, लाभ अमृत 12:16 से 3:13 तक, शुभ 4:42 से सूर्यास्त तक। **राहुकाल**— 1:30 से 3:00 तक, सूर्योदय 6:23, सूर्यास्त 6:10

राशिफल

गुरुवार 1 अक्टूबर, 2026

अश्विन मास, कृष्ण पक्ष, पंचमी तिथि, गुरुवार, विक्रम संवत—2083, रोहिणी नक्षत्र रात्रि 4:27 तक, सिद्धि योग रात्रि 9:18 तक, तैलिल करण दिन 12:56 तक, चन्द्रमा आज वृष राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति— सूर्य-कन्या, चन्द्रमा-वृष, मंगल-कर्क, बुध-कन्या, गुरु-कर्क, शुक्र-तुला, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह आज कुमार योग रात्रि 4:27 से आरम्भ होगा। आज छठ का श्राद्ध, रोहिणी व्रत (जैन) है। **श्रेष्ठ चौघड़िया**—शुभ सूर्योदय से 7:51 तक, चर 10:48 से 12:16 तक, लाभ अमृत 12:16 से 3:13 तक, शुभ 4:42 से सूर्यास्त तक। **राहुकाल**— 1:30 से 3:00 तक, सूर्योदय 6:23, सूर्यास्त 6:10



मेघ

आर्थिक कारणों से अटक हुए कार्य बनने लगेंगे। व्यावसायिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। घर-परिवार में धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं।



तुला

चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। शुभ कार्यों में व्यवधान हो सकता है। आवज बनते कार्य बिगड़ सकते हैं। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है।



वृष

व्यावसायिक आर्थिक मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी। व्यावसायिक कार्य सुगमता से बनने लगेंगे। अटक हुआ धन प्राप्त होगा। मानसिक तनाव दूर होगा।



वृश्चिक

व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। चलते कार्यों में प्रगति होगी। नवीन कार्यों में उचित सफलता मिल सकती है। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी।



मिथुन

घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि होगी। धन हानि का भय है। पारिवारिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। वाणी पर नियंत्रण रखना ठीक रहेगा। मन में असंतोष बना रहेगा।



धनु

स्वास्थ्य में सुधार होगा। अटक हुए कार्य बनने लगेंगे। अस्त-व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा। विवाहित मामलों से राहत मिल सकती है। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।



कर्क

आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। संभावित धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी। नौकरपेशा व्यक्तियों के लिए दिन अच्छा रहेगा।



मकर

व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। व्यावसायिक कार्यों में महत्वपूर्ण सफलता मिल सकती है। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा।



सिंह

व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। व्यावसायिक कार्यों में आ रही परेशानियाँ दूर होने लगेंगी। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी।



कुंभ

घर-परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। परिवार में महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।



कन्या

नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होगा। अटक हुए कार्य बनने लगेंगे। घर-परिवार में महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।



मीन

परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। मित्रों/रिश्तेदारों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। अटक हुआ धन प्राप्त हो सकता है।